कार्यालय कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यॉत्रिकी खण्ड
एवं जिला जल तथा स्वच्छता समिति कोण्डागांव
:: विज्ञापन ::

क्र0 03/डी.डब्ल्यू.एस.एम. एवं बी.आर.सी./स्थापना/2013–14 कोण्डागांव, दिनांक 19.12.2013

सचिव छत्तीसगढ़ शासन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग राज्य जल एवं स्वच्छता मिषन, मंत्रालय, डी.के. भवन परिपत्र क्रमांक 1062/एफ 9–9/34–2/03/2012 रायपुर दिनांक 28.05.2012 के द्वारा प्राप्त निर्देष एवं प्रमुख अभिंयता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग छत्तीसगढ़ रायपुर के पत्र क्रमांक 661/प्र.अ./लो.स्वा.या.वि./एन. बी.ए. रायपुर दिनांक 01.02.2013 पृ.क्रमांक 662/प्र.अ./लो.स्वा.या.वि./एन.बी.ए. रायपुर दिनांक 01.02.2013 के द्वारा प्राप्त निर्देषानुसार जिला जल तथा स्वच्छता समिति अंतर्गत जिला जल एवं स्वच्छता मिषन (DWSM) एवं विकासखण्ड संसाधन केन्द्र (BRC) के अंतर्गत वर्तमान में रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन एवं चयन प्रक्रिया संबंधि कार्यवाही का अधिकार जिला जल तथा स्वच्छता समिति को प्रदान किया गया है।

अतः राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम एवं निर्मल भारत अभियान अंतर्गत सहायक गतिविधियों के क्रियान्वयन/संचालन हेतु जिला जल तथा स्वच्छता समिति कोण्डागांव के अंतर्गत जिला जल एवं स्वच्छता मिषन (डी.डब्ल्यू.एस.एम.) व विकासखण्ड संसाधन केन्द्र (बी.आर.सी.) के रूप में सहायक ईकाई की स्थापना हेतु संविदा आधार पर निम्नानुसार पदो के लिए आवेदन आमंत्रित किये जाते है। इच्छुक आवेदक इस विज्ञापन के साथ प्रकाषित निर्धारित आवेदन पत्र के प्रारूप, परिषिष्ट–1 में अपना आवेदन दिनांक 10 जनवरी 2014, सायंकाल 5 बजे तक बंद लिफाफे में (पंजीकृत/स्पीड पोस्ट) डाक के माध्यम से कार्यालय कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यॉत्रिकी विभाग एवं सदस्य सचिव, जिला जल तथा स्वच्छता समिति कोण्डागांव (छ.ग.) को प्रस्तुत कर सकते है। विभिन्न पदों से संबंधित अन्य विवरण निम्नानुसार है–

जिला जल एवं स्वच्छता मिषन (DWSM)

क्र.	पदनाम	शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव	प्रतिमाह मानदेय (रूपयों में)	जिले में पदों की संख्या	दायित्व (संक्षिप्त में)
1	2	3	4	5	6
1.	जिला परियोजना समन्वयक	सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक एवं शासकीय /गैर शासकीय संस्था में कार्य करने का 05 वर्ष का अनुभव उसमें से जल एवं स्वच्छता के क्षेत्र में कार्य करने का 02 वर्ष का अनुभव एवं कम्प्यूटर का ज्ञान अनिवार्य। संबंधित क्षेत्र में उच्चतर षिक्षा एवं अनुभव को प्राथमिकता ।	20000/–	01	एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. व एन.बी.ए. की गतिविधियों की आयोजन, निर्माण, क्रियांवयन एवं प्रबंधन करना। एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. व एन.बी.ए. के क्रियांवयन एवं उपलब्धियों की मॉनिटरिंग एवं इवेल्यूवेषन तथा एम.आई.एस. का नियमित अपडेट। जिला समन्वयकों से समन्वय एवं कार्यपालन अभियंता को नियमित रिपोर्टिग। समय पर सौपे गये अन्य कार्यालयीन कार्य।
2	जिला समन्वयक (आई.ई.सी. एच.आर.डी, इक्विटी,)	मास कम्यूनिकेषन / इंजीनियरिंग / प्रबंधन / समाजषास्त्र/समाज कल्याण / ग्रामीण विकास में स्नातक, एवं शासकीय/गैर शासकीय संस्था में कार्य 05 वर्ष का अनुभव उसमें से जल एवं स्वच्छता के क्षेत्र में कार्य करने का 02 वर्ष का अनुभव एवं कम्प्युटर का ज्ञान अनिवार्य।	18000/–	01	आई.ई.सी. कार्ययोजना, प्रषिक्षण एवं क्षमता वर्धन आयोजना निर्माण का निर्माण एवं उसका प्रभावी क्रियान्वयन व अनुश्रवण करना, जिला परियोजना समन्वयक एवं कार्यपालन अभियंता को रिपोर्ट करना।

		संबंधित क्षेत्र में उच्चतर षिक्षा एवं अनुभव को प्राथमिकता। (समाज कल्याण/समाज शास्त्र में स्नातकोत्तर योग्यताधारी आवेदको के लिये स्नातक स्तर पर उपरोक्तानुसार उल्लेखित विषय की अनिवार्यता षिथिलनीय होगी।)			
3	जिला समन्वयक (स्वच्छता एवं स्वास्थ्य षिक्षा)	विज्ञान/समाजषास्त्र/समाज कल्याण/ ग्रामीण विकास में स्नातक, एवं शासकीय/गैर शासकीय संस्था में कार्य 02 वर्ष का अनुभव उसमें से जल एवं स्वच्छता के क्षेत्र में कार्य करने का 01 वर्ष का अनुभव एवं कम्प्युटर का ज्ञान अनिवार्य। संबंधित क्षेत्र में उच्चतर षिक्षा एवं अनुभव को प्राथमिकता। (समाज कल्याण/समाज शास्त्र में स्नातकोत्तर योग्यताधारी आवेदको के लिये स्नातक स्तर पर उपरोक्तानुसार उल्लेखित विषय की अनिवार्यता षिथिलनीय होगी।)	18000/–	01	स्वच्छता एवं स्वास्थ्य षिक्षा हेतु योजना निर्माण व क्रियान्वयन करना, जिला परियोजना समन्वयक एवं कार्यपालन अभियंता को रिर्पोट करना।
4	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	कक्षा 12वीं (10+2) बोर्ड द्वारा उत्तीर्ण, अथवा कक्षा 10वीं बोर्ड द्वारा उत्तीर्ण एवं किसी भी विषय में त्रिवर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण। डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/ प्रोग्रामिंग में किसी मान्यता प्राप्त संस्था से एक वर्षीय डिप्लोमा। कम्प्यूटर में हिन्दी एवं अंग्रेजी में 8000 की (Key) डिप्रेषन प्रतिघंटा की गति। न्यूनतम 02 वर्ष शासकीय /अषासकीय संस्था में कार्य करने का अनुभव।	9700/–	01	एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी./टी.एस.सी. की ऑन लाईन एन्ट्री एवं समस्त पत्र व्यवहार को कम्प्यूटरीकृत करना।

विकासखण्ड संसाधन केन्द्र (BRC)

क्र.	पदनाम	शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव	प्रतिमाह मानदेय (रूपयों में)	पदों की संख्या	दायित्व (संक्षिप्त में)
01	विकासखण्ड समन्वयक	मास कम्यूनिकेषन / ग्रामीण अध्ययन/ विज्ञान / कला में स्नातक।	10000/–	05	ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति की मॉनिटरिंग, मासिक बैठके, प्रषिक्षण व तकनीकी सहयोग, बेसलाईन सर्वे, पेयजल स्त्रोंतों की गुणवत्ता का अनुश्रवण व निगरानी तथा स्वच्छता सर्वेक्षण मुद्दों पर वार्षिक कार्ययोजना /कलेण्डर के निर्माण में जिला जल तथा स्वच्छता समिति को सहयोग। शालाओं में बेहतर स्वच्छता तथा पेयजल का उचित रख–रखाव। वरिष्ठ अधिकारियों के दिषा निदेष का पालन, समन्वय, सामन्जस्य व सामुदायिक जागरूकता की स्थापना।

02	क्लस्टर समन्वयक	मास कम्यूनिकेषन/ ग्रामीण अध्ययन / विज्ञान/ सोषल साईंस।	4500/–	10	विकासखण्ड समन्वयक के समान कार्य दायित्व का क्लस्टर स्तर पर निर्वहन तथा विकासखसण्ड समन्वयक को योजना के सफल क्रियान्वयन में मार्गदर्षिका अनुसार आवष्यक सहयोग।

विकासखण्ड समन्वयक एवं क्लस्टर समन्वयक के पदों की संख्या एवं आरक्षण की स्थिति –

क्र0	विकासखण्ड समन्वयक एवं क्लस्टर समन्वयक की संख्या		आरक्षण का विवरण (इस विवरण में महिला, भूतपूर्व सैनिक आदि के लिए शासन के आरक्षण संबंधी प्रावधान लागू होंगे।)				
			अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	सामान्य	योग
1	विकासखण्ड समन्वयक	5	–	3	1	1	5
2	क्लस्टर समन्वयक	10	–	5	1	4	10

जिला परियोजना समन्वयक, जिला समन्वयक /विकासखण्ड/क्लस्टर समन्वयकों एवं डाटा एन्ट्री ऑपरेटर की भर्ती हेतु नियम, शर्ते एवं चयन प्रक्रिया –

1. आयु सीमा अधिकतम 35 वर्ष होगी। अधिकतम आयु सीमा में छूट हेतु छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रषासन विभाग द्वारा संविदा नियुक्ति हेतु समय – समय पर जारी छूट संबंधी आदेष/निर्देष इस नियुक्ति पर लागू होगें।
2. प्राप्त आवेदनों की एकसमान व पारदर्षिता पूर्ण आधार पर निर्धारित मापदण्ड अनुसार छटनी, प्रारंभिक चयन सूची का प्रकाषन, दावा आपत्ति का आमंत्रण एवं निराकरण, योग्य अंतिम चयनित आवेदकों के सूची का प्रकाषन एवं नियुक्ति आदेष का जारी किया जाना आदि प्रक्रिया जिला जल तथा स्वच्छता समिति द्वारा की जावेगी।
3. आवेदक, निर्धारित आवेदन पत्र प्रारूप (परिषिष्ट –1) में प्रत्येक पद हेतु अलग–अलग आवेदन प्रस्तुत करेगा। आवेदन पत्र निर्धारित अंतिम तिथि को सांयकाल 05 बजे तक, बंद लिफाफे में, (पंजीकृत/स्पीड पोस्ट) डाक के माध्यम से जिला जल तथा स्वच्छता समिति को प्राप्त हो जाने चाहिए।
4. स्थानीय उम्मीद्वारों को प्राथमिकता प्रदान करने के ध्येय से जिले के स्थायी निवासी आवेदक को प्राथमिकता/अधिमानता अंक प्रदान किया जावेगा।
5. जिला परियोजना समन्वयक, जिला समन्वयक (आई.ई.सी.एच.आर.डी,इक्विटी) एवं जिला समन्वयक (स्वच्छता एवं स्वास्थ्य षिक्षा)/विकासखण्ड/क्लस्टर समन्वयक हेतु चयन प्रक्रिया में मेरिट निर्धारण की पद्धति निम्नानुसार होगी :–
   चयन प्रक्रिया स्थानीय आवेदकों को प्राथमिकता प्रदान करते हुए केवल दस्तावेजी योग्यताओं आधारित ऑकलन द्वारा अंक का निर्धारण कर की जावेगी।
6. डाटा एन्ट्री ऑपरेटर हेतु चयन प्रक्रिया में मेरिट निर्धारण की पद्धति निम्नानुसार होगी :–
   चयन प्रक्रिया के दो चरण होंगे।

   (अ) प्रथम चरण – दस्तावेजी योग्यताओं आधारित ऑकलन द्वारा अंक का निर्धारण (90 प्रतिषत अंक)

   (ब) द्वितीय चरण – कम्प्यूटर पर दक्षता का प्रायोगिक परीक्षण द्वारा अंक का निर्धारण – (10 प्रतिषत अंक)
   1. कम्प्यूटर में हिन्दी में 8000 की (Key) डिप्रेषन प्रतिघण्टा गति के कौषल/दक्षता का प्रायोगिक परीक्षण
   2. कम्प्यूटर में अंग्रेजी में 8000 की (Key) डिप्रेषन प्रतिघण्टा गति के कौषल/दक्षता का प्रायोगिक परीक्षण

   कम्प्यूटर पर कौषल/दक्षता परीक्षण के लिये जिला जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा अपनायी गई प्रक्रिया उम्मीद्वारो के लिये मान्य व स्वीकार्य होगी। कम्प्यूटर पर कौषल / दक्षता परीक्षण के लिये राष्ट्रीय सूचना केन्द्र के जिला कार्यालय से आवष्यक सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।

   उम्मीद्वारों का अंतिम चयन, प्रथम चरण – दस्तावेजी योग्यताओं तथा शैक्षणिक योग्यता, कम्प्यूटर योग्यता तथा अन्य गैर शैक्षणिक योग्यता (राष्ट्रीय सेवा सहभागिता एवं पाठ्येत्तर गतिविधि) एवं अनुभव आदि के प्रस्तुत अभिप्रमाणित प्रमाण पत्रों के आधार पर ऑकलन/अंक निर्धारण एवं द्वितीय चरण – कम्प्यूटर दक्षता की प्रायोगिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के समेकित मेरिट सूची के आधाार पर जिला जल तथा स्वच्छता समिति

द्वारा किया जावेगा। चयन सूची का प्रकाषन, चयन सूची के निर्माण के आधार अंको के वितरण सहित कार्यालयीन सूचना पटल/बेवसाईट/स्थानीय समाचार पत्रों पर किया जाकर, चयन सूची के सम्बंध में दावा आपत्ति आमंत्रित किया जावेगा। निर्धारित समय–सीमा में प्राप्त दावा आपत्ति के नियमानुसार निराकरण के उपरान्त निराकृत अन्तिम चयन सूची का कार्यालय सूचना पटल/बेवसाईट/स्थानीय समाचार पत्रों पर प्रकाषन किया जाकर नियुक्ति आदेष जारी किया जावेगा।

7. जिला स्तरीय 5 सदस्यीय चयन समिति होगी जिसके अध्यक्ष, कलेक्टर/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत व सदस्य सचिव, कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थय यांत्रिकी विभाग होगें। कलेक्टर द्वारा मनोनित 2 जिला स्तरीय अधिकारी (यथासंभव स्कूल षिक्षा, महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से) तथा भारत सरकार के प्रतिनिधि अथवा राज्य स्तर से 01 सदस्य जो सी. सी.डी.यू./डी.डब्ल्यू.एस.एस.ओ./लो.स्वा.यॉ.वि. के प्रमुख अभियंता/परिक्षेत्र/मंडल स्तर से मनोनित क्षेत्रीय समन्वयक/ राज्य समन्वयक/सलाहकार/विभागीय अधिकारी होगें।

8. पदों की पूर्ति करने /रिक्त रखने/नया सृजित करने (बढ़ाने)/समाप्त करने (घटानें) अथवा सम्पूर्ण विज्ञापन निरस्त करने का अधिकार शासन के पास सुरक्षित रखा गया है।

9. आरक्षण का लाभ सिर्फ छत्तीसगढ़ के मूल निवासी को ही प्राप्त होगा। शासन स्तर से प्रभावषील आरक्षण नियम लागू होगें यदि कोई भूतलक्षी प्रभाव से आदेष/निर्देष जारी होते है तो उसका अनुपालन भी किया जावेगा।

10. निर्धारित आवेदन पत्र प्रारूप (परिषिष्ट–1) में ही आवेदन स्वीकार योग्य होगें। त्रुटिपुर्ण प्रारूप में अथवा निर्धारित प्रारूप में अपूर्ण या अस्पष्ट आवेदन पत्र स्वमेय निरस्त किये जाने योग्य होंगे, तत्सम्बन्ध में आवेदक को कोई सूचना नही दी जावेगी। चयन के किसी भी स्तर पर या सेवा के दौरान भी आवेदन की अर्हता संबंधी कोई अयोग्यता ज्ञात होती है तो चयन/नियुक्ति निरस्त किये जाने का अधिकार नियोक्ता अर्थात जिला जल तथा स्वच्छता समिति के पास सुरक्षित रहेगा, जो कि आवेदक पर बंधनकारी होगा।

11. आवेदको द्वारा प्रस्तुत जल एवं स्वच्छता के क्षेत्र में कार्य अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र के तारतम्य में आवेदकों को यह स्पष्ट हो कि जल एवं स्वच्छता के क्षेत्र में प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र, जल एवं स्वच्छता के क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारियों यथा कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग/जल संसाधन विभाग, मुख्य कार्यपालिका अधिकारी या उससे उच्च स्तर के अधिकारी के द्वारा जारी/प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र को ही मान्य किया जावेगा। गैर शासकीय संस्था के अधीन किए गए सेवा/कार्य के अनुभव का प्रमाण पत्र उस शासकीय विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित होने पर ही मान्य किया जावेगा, जिस शासकीय विभाग के कार्य क्षेत्र में गैर शासकीय संस्था द्वारा कार्य किया गया है। प्रमाण पत्रों के वैधता एवं अनुभव की मान्यता के संबंध में जिला जल तथा स्वच्छता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम और बंधनकारी होगा।

12. आवेदकों को यह अवगत कराया जाता है कि राज्य के किसी विषेष क्षेत्र/जिलों में यथा बस्तर एवं सरगुजा संभाग में विज्ञापन में उल्लेखित किसी पद/पदों हेतु निर्धारित न्यूनतम अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता कम्प्यूटर कौषल तथा अनुभव वाले योग्य आवेदक नहीं मिलते हैं, तो उस क्षेत्र /जिले विषेष के लिए आवष्यक अनिवार्य न्यूनतम योग्यता में राज्य स्तर से षिथिलता की अनुमति प्राप्त कर तद्नुसार प्राप्त षिथिलता के आधार पर प्राप्त आवेदन पत्रों में से ही मेरिट तैयार करते हुए चयन किये जाने का विषेषाधिकार जिला एवं स्वच्छता समिति के पास सुरक्षित रहेगा।

13. सभी नियुक्तियॉ 12 माह की अवधि हेतु अनुबंध पर संविदा पर होगी, जिसे कार्य संतोषप्रद होने पर व आवष्यकता होने पर आगामी 12 माह हेतु बढ़ाया जा सकेगा।

14. सभी जिला परियोजना समन्वयक/ जिला समन्वयक को माह में न्यूनतम 10 दिन का भ्रमण अनिवार्य होगा। जिला परियोजना समन्वयक / जिला समन्वयक को क्षेत्र भ्रमण/ग्राम में रात्रि विश्राम हेतु रू 125/– भत्ता प्रतिदिन किया जावेगा, जो कि ग्राम/ क्षेत्र में 12 घंटे या अधिक समय का भ्रमण होने पर ही देय होगा। एक माह में अधिकतम 15 दिवस का ही भत्ता देय होगा। जिले से बाहर की यात्रा हेतु वास्तविक बस/रेल का किराया देय होगा।

15. ये पद शासकीय नही है, पूर्णतः अस्थायी व संविदा आधारित है तथा स्थान विषेष मे सेवा के पद है अर्थात् स्थानान्तरण योग्य नहीं है।

16. वर्ष के दौरान 18 दिनों के आकस्मिक अवकाष व 03 दिनों के ऐच्छिक अवकाष की पात्रता संविदा नियमानुसार होगी।
17. नियुक्ति तिथि के 06 माह की सेवा बॉड भरना अनिवार्य होगा। कोई उम्मीद्वार नियुक्ति के पष्चात 06 माह की अवधि के पूर्व यदि पद से त्याग पत्र देता है तो उसे 3 माह का वेतन की समतुल्य राषि जमा करना होगा।
18. नियुक्ति तिथि के 06 माह पष्चात् ही जिला परियोजना समन्वयक/ जिला समन्वयक की सेवाएँ, दोनो पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा 01 माह की पूर्व सूचना या इसके एवज में 01 माह का वेतन राषि जमा करना होगा।
19. जिला परियोजना समन्वयक/ जिला समन्वयक द्वारा सेवा वर्ष में किये गये कार्यों /सेवाओं का गोपनीय प्रतिवेदन राज्य स्तर से निर्धारित प्रारूप (मूल्यांकन प्रपत्र) में जिले के सदस्य सचिव, जिला जल तथा स्वच्छता समिति द्वारा लिखा जावेगा। सदस्य सचिव द्वारा इन्द्राज किये गये कार्य मूल्यांकन के आधार पर जिला जल एवं स्वच्छकता समिति द्वारा आवेदको के संविदा अवधि के विस्तार/ नवीनीकरण किये जाने पर निर्णय लिया जावेगा।
20. जिला स्तर पर वर्तमान में कार्यरत समन्वयक जो कि वर्तमान में जिला स्तरीय सहायक यूनिट में किसी भी पद पर कार्यरत है यदि वे विज्ञापन अनुसार निर्धारित योग्यता एवं अनुभव रखते है एवं विज्ञापन में प्रकाषित पदों पर चयन हेतु इच्छुक है तो उन्हे इस चयन प्रक्रिया में सम्मिलित होने/गुजरने की आवष्यकता होगी।
21. किसी भी जिला परियोजना समन्वयक/जिला समन्वयक की सेवा समाप्त किये जाने की आवष्यकता होने पर, जिला जल तथा स्वच्छता समिति द्वारा राज्य स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर सेवा समाप्त की जा सकेगी।
22. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को सेवा समाप्ति पष्चात संविदा नियुक्ति शासकीय सेवक के रूप में जितनी अवधि तक सेवा दी गई है उस अवधि के लिए किसी भी प्रकार के पेंषन, उपादान या मृत्युलाभ आदि की पात्रता नहीं होंगी।
23. संविदा पद पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 से शासित होगें।

कार्यपालन अभियंता एवं सदस्य सचिव
जिला जल तथा स्वच्छता समिति
कोण्डागांव (छ0ग0)

नोट – उपरोक्त विज्ञापन लोक स्वास्थय यांत्रिकी विभाग, छत्तीसगढ़ के वेबसाईट http;//phed.cg.gov.in पर भी उपलब्ध है।

परिषिष्ट – 1

आवेदन पत्र का प्रारूप

स्व. प्रमाणित पासपोर्ट आकार का फोटो चस्पा करें।

प्रति,

कार्यपालन अभियंता एवं सदस्य सचिव,
जिला जल तथा स्वच्छता समिति,
लोक स्वास्थ्य यॉत्रिकी विभाग,
कोण्डागांव (छ0ग0)
पिन नं0 – 494226

1. आवेदित पद का नाम – .....
2. जिला/विकासखण्ड का नाम – .....
   (जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है)
3. आवेदक, छत्तीसगढ़/अन्य प्रदेश के किस जिले का स्थायी निवासी है–
   (समर्थन में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जिला ..... प्रदेश.....
   स्थायी निवास प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।)
4. आवेदक का नाम :– (हिन्दी में) – .....
   अंगेजी में (केपिटल अक्षरों में) – .....
5. लिंग (महिला/पुरूष) – .....
6. क्या आवेदक शासन द्वारा मान्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/
   अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रिलीलेयर) के सदस्य हैं, यदि हां तो – .....

(समर्थन में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)

7. पिता/पति का नाम – .....
8. जन्म
   तिथि– अंक में – – .....
   शब्दों में – – .....

(जन्म तिथि के समर्थन में जन्म प्रमाण पत्र/हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी के अंकसूची की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)

9. दिनांक 01.12.2013 को आयु वर्ष .....माह.....दिन.....
10. स्थायी पता – – .....
    – .....
    – .....
11. वर्तमान डाक का पता – – .....
    – .....
    – .....
    मोबाईल नम्बर .....
    ई–मेल आईडी .....
12. शैक्षणिक योग्यता (अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें) :–

क्र.	शैक्षणिक अर्हता	डिग्री/डिप्लोमा सिर्टीफिकेट का नाम	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	प्राप्तांक	पूर्णांक	प्रतिशत व श्रेणी
01	12 वीं						
02	स्नातक						
03	स्नातकोत्तर						
04	कम्प्यूटर योग्यता						
05	अन्य उल्लेखित करें						

13. अन्य गैर शैक्षणिक (राष्ट्रीय सेवा सहभागिता) योग्यता (अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें) :–.....
(जैसे –एनसीसी,एनएसएस, राष्ट्रपति/राज्यपाल गाईड आदि में सहभागिता)

14. अन्य गैर शैक्षणिक (पाठ्येत्तर गतिविधि सहभागिता) योग्यता (अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें) :–.....
(जैसे राष्ट्रीय /राज्य स्तरीय खेलकूद , सांस्कृतिक कार्यक्रम , समाज सेवा कार्य आदि में सहभागिता)

15. शासकीय/गैर शासकीय संस्था में कार्य करने का अनुभव वर्षो में (भर्ती हेतु नियम,शर्ते एवं चयन प्रक्रिया के शर्ती क्रमांक 11 में उल्लेखानुसार जारी/प्रतिहस्ताक्षरित अनुभव की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)–

क्र.	नियोक्ता का नाम, पदनाम व पता	धारित पद	अवधि		मानदेय/ वेतन	संपादित कार्यों/दायित्वों का विवरण	विशेष रिमार्क
			कब से	कब तक			

16. उपरोक्त अनुभव में से जल एवं स्वच्छता के क्षेत्र में कार्य का अनुभव वर्षों में (भर्ती हेतु नियम, भर्ती क्रमांक 11 में उल्लेखानुसार जारी/प्रतिहस्ताक्षरित अनुभव की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें) –

क्र.	नियोक्ता का नाम, पदनाम व पता	धारित पद	अवधि		मानदेय/ वेतन	संपादित कार्यों/दायित्वों का विवरण	विशेष रिमार्क
			कब से	कब तक			

17. क्या आवेदक भूतपूर्व सैनिक है ? – हां/नहीं
(यदि हां तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें) – .....

18. क्या अभ्यार्थियों के विरूद्व कोई दाण्डिक प्रकरण किसी पुलिस थाना/न्यायालय में लंबित हैं न्यायालय में निराकृत हो चुका हैं ? (यदि हां तो संबंधित अधिनियम एवं धारा सहित प्रकरण क्रमांक एवं निर्णय आदि की जानकारी स्पष्ट रूप से उल्लेख करें।)
अपराधिक प्रकरण क्रमांक/वर्ष .....
पुलिस थाना ..... जिला .....
अधिनियम एवं धारा .....
प्रकरण की वर्तमान स्थिति – .....
.....
.....

19. संलग्नको की सूची – 1. ..... 2. .....
....

प्रार्थी के हस्ताक्षर

नाम .....
पिता का नाम .....

स्थान .....
दिनांक .....

// घोषणा–पत्र //

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि , इस आवेदन पत्र में दिए गए समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी अधिकतम जानकारी एवं विष्वास के अनुसार सत्य, सही ओर पूर्ण हैं, जो कि कभी भी यदि असत्य पाए जाते हैं तो भर्ती संबंधी मेरे सभी दावे समाप्त हो जायेंगे और मेरी उम्मीद्वारी/नियुक्ति किसी भी स्तर पर निरस्त किये जाने योग्य होगी तथा मेरे विरूद्व वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी, नियुक्ति/सेवा के किसी भी स्तर पर नियोक्ता का निर्णय मुझ पर बंधनकारी होगा।

प्रार्थी के हस्ताक्षर.....
नाम .....
दिनांक .....
स्थान .....

नोट :– आवेदक प्रत्येक पृष्ठ के अंतिम में दायी ओर अपने हस्ताक्षर अवष्य करे।